न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—285 / 2016 / 75 (2016 / 00285)

1. जसराज पुत्र शंकरलाल, जाति छीपा, निवासी ग्राम खरवा, तह0 मसूदा, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खरवा, जरिये प्रधानाध्यापक ।
2. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, अजमेर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मसूदा, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर, दिनांक 3.9.2010.

उपस्थितः—

1. श्री शिवप्रकाश चौधरी, वकील अपीलांट ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 स्वंय उपस्थित ।
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 2 व 3.

निर्णय

दिनांकः—10.4.2019

1. यह अपील विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 3. 9.2010 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है आराजी खसरा नंबर 1855 वाकै ग्राम खरवा तहसील मसूदा, जिला अजमेर की भूमि पर अपीलांट का कब्जा अपने पूर्वजों के समय से चला आ रहा है किन्तु उक्त भूमि के कुल रकबे में से 4 बीघा 7 बिस्वा भूमि को गांव की पार्टीबाजी की वजह से उपखण्ड अधिकारी, मसूदा की अनुशंसा पर विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने आदेश दिनांक 3.9.2010 को रेस्पो0 संख्या 1 को आवंटित कर दिया । विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने विवादित निर्णय पारित दिनांक 27.9.2013 पारित करते समय इस विधिक बिन्दू को नजर अदांज किया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खरवा से आराजी मुतनाजा काफी दूरी पर है एवं इस भूमि पर गत् 100 वर्षो से भी अधिक समय से अपीलांट व अपीलांट के पूर्वर्जो की काश्त

चली आ रही है । विवादित भूमि के 4 बीघा रकबे पर अपीलांट का कोट बना हुआ है जिससे विवादित भूमि ओक्यूपाईड होने से आवंटन योग्य नहीं थी । विद्वान जिला कलक्टर ने आवंटन से पूर्व विवादित भूमि के मौके की जांच करवाये बिना अपीलाधन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है । बहस में आगे कथन किया कि गांव के कुछ व्यक्तियों ने उपखण्ड अधिकारी, मसूदा से अनुषंसा करवा कर जिलाधीश, अजमेर को से स्कूल के नाम आवंटन करवा दिया है जबकि विवादित भूमि स्कूल के मैदान के लिये उपयुक्त नहीं है तथा स्कूल के पास पहले से ही काफी भूमि है । विद्वान जिहला कलक्टन ने राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (अलाटमेंट ऑफ अनआक्यूपाईड गर्वनमेंट एग्रीकल्चरल लैण फॉर दॉ कन्सट्रक्शन ऑफ स्कूल कॉलेज, डिस्पेंसरी, धर्मशाला एण्ड अदर बिल्डिंग्स ऑफ पब्लिकम यूटिलिटी) रूल्स 1963 की ओर कतई ध्यान नहीं दिया है जिसके नियम 1 के तहत केवल अनओक्यपाईड गर्वनमेंट भूमि का जिस पर पर काश्त नहीं होती हो, का ही आवंटन किया जा सकता है जबकि विवादित भूमि पर अपीलांट अपने पूर्वजों के समय से काश्त करते चले आ रहे है । बहस में आगे कथन किया कि नियम 2 के अनुसार मिडिल स्कूल के लिये केवल 5 एकड़ भूतमि जिसमें स्कूल की बिल्डिंग व हास्टल व खेल मैदान शामिल होगा उस हद तक ही आवंटन किया जा सकता है जबकि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खरवा के पास पूर्व से ही खेल मैदान व स्कूल की बिल्डिंग आवंटित है । विद्वान जिल कलक्टर ने खसरा नंबर 1855 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा 10 बिस्वांसी में से 4 बीघ्झा 7 बिस्वाप भमि का आवंटन स्कूल को किया है किन्तु उक्त अवांटन की कोई विशिष्ट सीमाए आदेश में नहीं दी है । अपीलांट के कब्जे काश्त की पुष्टि तहसीलदार द्वारा दिये गये नोटिस खसरा परिवर्तनशील आदि से होती है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 3.9.2010 को निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने एक वाद स्कल के विरूद्ध 2010 में धारा 88, 89, 91, 92–ए व धारा 188 राज0काश्त0अधी0 के तहत उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के न्यायालय में पेश किया था जिसे अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 9.5.2016 को निरस्त कर दिया जिसकी अपील हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसमें प्रार्थी के द्वारा नियुक्त अभिभाषक ने प्रार्थी को जिला कलक्टर के आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की सलाह दी । इसके उपरांत अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त कर कानूनी सलाह से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक एवं उचित है। अतः अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. जवाब में रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि विवादित भूमि सिवायचक थी जिसे स्कूल हेतु उपखण्ड अधिकारी की अनुषंसा पर आवंटित की है। सिवायचक भूमि पर कब्जा होने की स्थिति में भी भूमि अनओक्यपाईड मानी जावेगी। विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर का आदेश विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 व 3 ने बहस में कथन किया आवंटन आदेश विधिसम्मत् है । अपीलांट द्वारा विवादित भूमि के संबंध में खातेदारी उद्घोषणा का वाद उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के न्यायालय में पेश किया गया था जो निर्णय दिनांक 9.5.2016 को खारिज हो चुका है। विवादित भूमि से अपीलांट का कोई संबंध नहीं है । विवादित भूमि सिवायचक राजकीय भूमि दर्ज है जिस पर किसी भी व्यक्ति को कब्जे के

आधार पर कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

8. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 एवं धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

9. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने आदेश दिनांक 3.9.2010 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा ग्राम खरवा, तहसील मसूदा के खसरा नंबर 1855 रकबा 7–5–10 बीघा किस्म बरड़ा में से 4–7–00 बीघा भूमि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खरवा को आवंटन हेतु अनुशंसा किये जाने पर राजस्थान भू राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के निर्माण हेतु बिना कब्जे की राजकीय भूमि के आवंटन) नियम 1963 के प्रावधानानुसार खसरा नंबर 1855 रकबा 7–5–10 बीघा किस्म बरड़ा में से 4–7–00 बीघा भूमि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खरवा को को खैल मैदान हेतु निशुल्क आवंटित किये जाने के आदेश पारित किये है । अपीलांट ने विवादित भूमि पर पूर्वजों के समय से लगभग 100 वर्षो से कब्जा काश्त चले आने का कथन अवश्य किया है किन्तु निरन्तर कब्जे काश्त के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है । अपीलांट के स्वंय के कथनों से यह भी स्पष्ट है कि विवादित भूमि के संबंध में अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के न्यायालय में खातेदार उद्घोषणा बाबत् वाद प्रस्तुत किया गया था जो निर्णय दिनांक 9.5.2016 द्वारा खारिज हो चुका है । उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के इस निर्णय से भी स्पष्ट है कि विवादित आराजी से अपीलांट का कोई संबंध नहीं है तथा न ही अपीलांट को कोई वैध हक व अधिकार प्राप्त होते है। इसके विपरीत विवादित भूमि सिवायचक भूमि होने से उपखण्ड अधिकारी, मसूदा की अनुशंसा पर विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खरवा को खेल मैदान हेतु आवंटित की है जो नियमानुसार बाद जांच आवंटित की गई है । अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्यों से अपने अपील तथ्यों को साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर का आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

10. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 3.9.2010 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 10.4.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर